स्थापना वर्ष – 1966

Phone : 05612-241393

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कालेज

फिरोजाबाद

सम्बद्ध – डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

PROSPECTUS

2016-2017

मूल्य 200 रुपया

पंजीकृत डाक द्वारा 225 रुपया

संख्या – 2102

विद्ययाऽमृतमश्नुते

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी. जी.) कॉलेज
फिरोजाबाद
Web Site – mgbvpgcollege.com
परिचय (Introduction)

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी. जी.) कॉलेज, महात्मा गाँधी सेवा–संघ, फिरोजाबाद की प्रेरणा एवं शहर के गणमान्य नागरिकों के तन–मन–धन के सक्रिय सहयोग से पं. बालबिहारी लाल शर्मा के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का साकार स्वरूप है।

वर्ष 1952 में 'महात्मा गाँधी बालिका माध्यमिक विद्यालय' के रूप में तिलक भवन से उदित हो वर्ष 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से कला – संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त कर महाविद्यालय के रूप में एस. एन. रोड पर पल्लवित हुआ। महाविद्यालय ने श्री बालकृष्ण गुप्त के अध्यक्षीय कार्यकाल में सचिव पं. बालबिहारी लाल द्वारा प्रबन्ध समिति के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1971 में स्नातक विज्ञान संकाय की सम्बद्धता प्राप्त की। वर्ष 1983 में स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत एंव संगीत गायन की सम्बद्धता प्राप्त कर नगर की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 2001 में पं. बालबिहारी लाल के अध्यक्षीय कार्यकाल में महाविद्यालय के युवा सचिव श्री सुनील अग्रवाल ने स्ववित्तपोषित अनुभाग की स्थापना कर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती आगरा वि. वि.) से बी. एस–सी. (गृह विज्ञान) की सम्बद्धता प्राप्त की। पुनः वर्ष 2003 में बी. कॉम और एम. एस. सी. (जन्तु विज्ञान) में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त कर जनपद की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा का वृहद् क्षेत्र विकसित किया। वर्श 2006 में प्रबन्ध समिति एंव तत्कालीन सचिव श्री डी. एन. शर्मा के सद्प्रयासों से स्ववित्तपोषित अनुभाग का सर्वांगीण विकास हुआ। एम. ए. समाज शास्त्र की सम्बद्धता स्ववित्तपोशित योजना के अन्तर्गत सत्र 2007–2008 से प्राप्त करने के बाद एम. एस. सी. रसायन विज्ञान की सम्बद्धता सत्र 2009–2010 से प्राप्त की। स्नातक स्तर पर बी. ए. में एक विषय के रूप में शिक्षाशास्त्र की सम्बद्धता सत्र 2010–11 से प्राप्त हुई।

परिकल्पना (Vision)

महाविद्यालय की परिकल्पना नगर में ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना हैं, जिसमें बालिकाओं कों उच्च–शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

लक्ष्य (Mission)

महाविद्यालय का लक्ष्य छात्राओं के मन में यह चेतना जाग्रत करना है कि स्वयं के साथ–साथ समाज एंव राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में भी उनकी समान रूप से बराबर की भागीदारी है।

उद्देश्य (Objective)

जाति, वर्ग एवं धर्म–भेद–भाव के बिना स्वस्थ शिक्षा प्रदान कर बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना महाविद्यालय का उद्देश्य है। महाविद्यालय को बालिकाओं की उच्च–शिक्षा के क्षेत्र में नगर की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का श्रेय और गौरव प्राप्त है।

भवन (Building)

महाविद्यालय का अपना निजी भवन शहर के सुरक्षित वातावरण के मध्य एस. एन. रोड पर स्थित है। हवादार विशाल शिक्षण–कक्ष, स्व. सेठ कुन्दनलाल–उमरावलाल की स्मृति में निर्मित भव्य हॉल एंव मनमोहक उद्यान से महाविद्यालय–परिसर सुशोभित है। संकाय/विभागानुसार पृथक्–पृथक् कक्ष आबंटित है। विज्ञान संकाय में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध–समिति के अथक प्रयासों से तीन मंजिला नवीन भवन निर्मित हो चुका है। बी.एस.–सी., गृहविज्ञान के विभिन्न नवीन कक्षों एवं प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण कर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। बी. ए. गृहविज्ञान व मनोविज्ञान हेतु नवीन उपकरणों से सुसज्जित नवीन लैब विद्यमान है।

पुस्तकालय (Library)

महाविद्यालय में विशाल पुस्तकालय है, जिसमें पुस्तकों के रख–रखाव तथा छात्राओं के बैठकर अध्ययन करने की समुचित व्यवस्था है।

पुस्तकालय में प्रति वर्ष पाठ्यक्रमानुसार नवीन पुस्तकें क्रय की जाती है, जिससे पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। नवीन अलमारियाँ आदि क्रय कर पुस्तकालय को आधुनिक रूप से सुसज्जित एंव सुव्यवस्थित करने का विशेष प्रयास किया गया है। छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तथा सुविधाओं में विस्तार हेतु तीन मंजिला विशाल पुस्तकालय भवन निर्मित हो चुका है।

वाचनालय में अनेक समाचार–पत्र–पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, प्रतियोगी पत्रिकाओं तथा अन्य विभागीय पत्रिकाओं की व्यवस्था है।

(शासकीय सहायता प्राप्त) स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण		
क्र.सं.	विषय का नाम	स्नातक स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1	हिन्दी	कुलाधिपति के पत्र सं0 7327 / दिनांक 07.08.1966 से सम्बद्धता (कला संकाय)
2	अंग्रेजी	तदैव
3	मनोविज्ञान	तदैव
4	अर्थशास्त्र	तदैव
5	राजनीति शास्त्र	तदैव
6	समाजशास्त्र	तदैव
7	संगीत (गायन)	तदैव
8	गृह विज्ञान	जुलाई – 1973 से सम्बद्धता
9	चित्रकला	जुलाई – 1973 से सम्बद्धता
10	उर्दू	जुलाई – 1979 से सम्बद्धता
11	संस्कृत	जुलाई – 1980 से सम्बद्धता
12	जन्तु विज्ञान	एफिल / 104 दि0 12.07.74 राजाज्ञा के पत्र संख्या 2984 (1) जी0 एस0 दिनांक 20.06.74 से विज्ञान संकाय (Bio group) सम्बद्धता
13	वनस्पति विज्ञान	तदैव
14	रसायन विज्ञान	तदैव

स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण		
क्र. सं.	विषय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1	एम. ए. संस्कृत	एफिल / 1824 दि. 27.10.83 (राजाज्ञा के पत्र संख्या 5783 / जी. एस. दिनांक 13.10.83) से एम. ए. (संस्कृत) की सम्बद्धता
2	एम. ए. संगीत (गायन)	एफिल / 1824 दि. 27.10.83 (राजाज्ञा के पत्र संख्या 5783 / जी. एस. दिनांक 13.10.83) से एम. ए. (संगीत गायन) की सम्बद्धता प्राप्त

स्ववित्त पोशित योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण स्नातक–स्नातकोत्तर		
क्र.सं.	विषय का नाम	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1	बी.एस.–सी. (गृह विज्ञान संकाय)	(स्ववित्त पोषित) पंत्राक ई/5 59/ 65/02/07/01 से सम्बद्धता प्राप्त
2	बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय)	(स्ववित्त पोषित) पंत्राक ई/2655 /जी0एस0 दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्राप्त
3	बी.ए. (शिक्षाशास्त्र)	(स्ववित्त पोषित) सम्बद्धन –471/ सत्तर–2–2009–2 (577) / 2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता प्राप्त
4	एम.ए. (समाजशास्त्र)	(स्ववित्त पोषित) संख्या – 5166/सत्तर –2–2007–2 (135) 2004 दिनांक 17.3.2008 के द्वारा दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता प्राप्त
5	एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान)	(स्ववित्त पोषित) पंत्राक ई/2655/ जी0एस0 दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्राप्त
6	एम.एस.सी. (रसायन विज्ञान)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक सं0–3239 /सत्तर–2–2009–2(135)/2004 दि0 17.11.2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता प्राप्त

अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से शासकीय सहायता प्राप्त स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विषय–

(क) कला संकाय –

(1) स्नातकोत्तर (एम.ए.) – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

(1) संस्कृत (2) संगीत–गायन

(2) स्नातक (बी.ए.) – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम–शारीरिक शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन, राष्ट्रगौरव, हिन्दी भाषा, सामान्य अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, संगीत गायन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र (स्ववित्त पोशित)

(ख) विज्ञान संकाय –

स्नातक (बी.एस.–सी.) – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम – शारीरिक शिक्षा, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण अध्ययन, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान।

स्ववित्त – पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम

(क) विज्ञान संकाय –

1. स्नातकोत्तर – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम
   (क). एम.एस.सी. – जन्तु विज्ञान
   (ख). एम.एस.सी. – रसायन विज्ञान
2. स्नातक – बी.एस.–सी गृहविज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (सैमिस्टर प्रणाली)

(ख) कला संकाय –

1. स्नातकोत्तर – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम
   एम.ए. – समाजशास्त्र

(ग) वाणिज्य संकाय –

1. स्नातक–(बी.कॉम.) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

विषय – चयन हेतु नियम

(क) कला संकाय – स्नातक प्रथम वर्ष के लिए –

(क) अनिवार्य विषय – (1) शारीरिक शिक्षा

(2) हिन्दी भाषा और सामान्य अग्रेंजी में से कोई एक विषय चुने।

(ख) वैकल्पिक विषय – निम्नलिखित में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें –

(1) संस्कृत साहित्य	(2) हिन्दी साहित्य	(3) अंग्रेजी साहित्य
(4) उर्दू	(5) संगीत गायन	(6) गृहविज्ञान
(7) समाजशास्त्र	(8) राजनीति शास्त्र	(9) अर्थशास्त्र
(10) शिक्षा शास्त्र	(11) मनोविज्ञान	(12) चित्रकला

उपर्युक्त विषयों में से चयन करते समय प्रतिबन्ध होगा कि –

1. उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक विषय चुने।
2. उर्दू अथवा हिन्दी साहित्य में से एक विषय चुने।
3. छात्राएँ विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें। प्रवेश समिति द्वारा स्वीकृत विषय किसी भी दशा में बदले नही जायेंगे।
4. प्रत्येक विषय में 60 की संख्या पूर्ण होने तक ही प्रवेश दिए जायेंगे।
5. छात्रा दो से अधिक प्रयोगात्मक विषय अथवा साहित्य नहीं ले सकेगी।
6. बी. ए. द्वितीय वर्ष एंव तृतीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित विषय ही ले सकती है। अनिवार्य विषय के रूप में क्रमशः राष्ट्र गौरव एंव पर्यावरण अध्ययन होंगे।

(ख) विज्ञान संकाय – स्नातक प्रथम वर्ष के लिए –

(क) अनिवार्य विषय – 1. (क) शारीरिक शिक्षा

1. (क) रसायन विज्ञान (ख) वनस्पति विज्ञान (ग) जन्तु विज्ञान। स्नातक द्वितीय एंव तृतीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित विषय ही लेंगी। अनिवार्य विषय के रूप में क्रमशः राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन होंगे।

(ग) वाणिज्य संकाय – स्नातक प्रथम वर्ष के लिए –

1. व्यावसायिक प्रशासन (Business Administration)
2. लेखा एंव विधि (Account & Law)
3. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र(Applied Business Economics)
4. अनिवार्य विषय – शारीरिक शिक्षा

बी.कॉम द्वितीय एंव तृतीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित विषय ही ले सकती है। अनिवार्य विषय के रूप में क्रमशः राष्ट्र गौरव एंव पर्यावरण अध्ययन होंगें।

आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश –

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं, अन्यथा कार्यालय द्वारा आवेदन – पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा–

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु –

1. हाईस्कूल अंकतालिका एंव प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी. सी.) की सत्यापित प्रतिलिपि।
4. आय–प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। (छात्रवृत्ति एंव आरक्षित श्रेणी हेतु)
5. जाति–प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। (यदि आरक्षित श्रेणी से हों)
6. विकलांग/भूतपूर्व सैनिक अथवा शिक्षक आश्रित के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7. संस्था (जिसमें अन्तिम शिक्षा पाई हो) के प्राचार्य/प्राचार्या से प्राप्त चरित्र–प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8. उ.प्र. से बाहर से आने वाली छात्राएँ प्रवजन–प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
9. आधार कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि।
10. घोषणा पत्र मूल रूप में।

नोट –

क. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी मूल शैक्षिक अभिलेख–अंकतालिकाएँ, स्थानान्तरण, आय, जाति और चरित्र प्रमाण–पत्र आदि साथ लाना अनिवार्य है। महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन–पत्र की पंजीकरण रसीद साक्षात्कार के समय साथ रखें।

ख. स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष और परास्नातक (एम.ए. व एम.एस.सी.) उत्तरार्द्ध की छात्राऐं केवल अर्ह परीक्षा (पूर्व वर्षो) की उत्तीर्ण अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें। प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय मूल अंकतालिका लाना अनिवार्य हैं।

ग. छात्रा को प्रवेश–फार्म पर प्रथम वर्ष की प्रवेश संख्या और विश्वविद्यालय से प्राप्त नामांकन संख्या लिखना अनिवार्य है।

महाविद्यालय का परिधान

महाविद्यालय में छात्राओं को सफेद कुर्ता–सलवार पहनकर आना हैं। दुपट्टे का चयन कक्षावार इस प्रकार होगा–

बी.ए.	–	मेहरून
बी.एस.सी.	–	गहरा हरा (काई)
बी.एस.सी.–गृहविज्ञान	–	हल्का नीला (आसमानी)
बी.कॉम.	–	हल्का बैंगनी
एम.ए.	–	हल्का सिलेटी (ग्रे)
एम.एस.सी.	–	गहरा नीला (नेवी ब्लू)
शीतकाल में	–	महरून स्वेटर अथवा शॉल डिजाइन रहित (सादा)

नोट : विवाहित छात्राऐं सादा महरून साड़ी–ब्लाउज पहन सकती है।

शुल्क सम्बन्धी नियम

1. सम्पूर्ण शुल्क वर्ष में एक बार प्रवेश के समय ही लिया जाएगा।
2. शासन द्वारा सत्र के मध्य में बढ़ाया गया शुल्क भी देय होगा।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा तथा नामांकन फार्म तभी अग्रसारित किए जायेंगे, जबकि छात्रा उस सत्र का सम्पूर्ण शुल्क जमा कर देगी।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रवेश–पत्र, सम्पूर्ण देय धनराशि का भुगतान एंव महाविद्यालय की समस्त सामग्री, जो छात्रा के नाम अंकित हो, वापस किए जाने के पश्चात् ही दिया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय के खाते में प्रवेश अंकित हो जाने के बाद आवेदन के साथ जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जाएगा।

शुल्क – तालिका (2016–2017)

प्रवेश के समय पूरे वर्ष का शुल्क एवं अन्य वार्षिक शुल्क निम्नवत् है –

शुल्क का नाम	बी.ए. I,II,III प्रयोगात्मक रहित शुल्क	बी.ए. I,II,III प्रयोगात्मक सहित शुल्क	बी.एस.सी. I,II,III	एम.ए. संगीत (गायन) I, II	एम.ए. संस्कृत I, II
शिक्षण शुल्क	–	–	–	–	–
पंजीकरण शुल्क	2	2	2	2	2
प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3
पंखा शुल्क	12	12	12	12	12
शीतोष्ण शुल्क	24	24	24	24	24
मंहगाई शुल्क	42	42	42	42	42
पुस्तकालय शुल्क	30	30	30	30	30
विकास शुल्क	30	30	30	30	30
पत्रिका शुल्क	15	15	15	15	15
निर्धन छात्रा–कोष शुल्क	12	12	12	12	12
विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	1000	1200	1200	1700	1500
परिचय पत्र शुल्क	8	8	8	8	8
भवन रख–रखाव शुल्क	30	30	30	30	30
क्रीड़ा शुल्क	200	200	200	200	200
लैब आकस्मिक शुल्क	25	25	25	25	25
दीक्षान्त समारोह शुल्क	10	10	10	10	10
छात्र–कल्याण शुल्क	12	12	12	12	12
पुस्तकालय आकस्मिक शुल्क	30	30	30	30	30
सांस्कृतिक शुल्क	50	50	50	50	50
छात्र संघ शुल्क	10	10	10	10	10
जैनरेटर शुल्क/विद्युत	50	50	50	50	50
काशन मनी	25	25	25	25	25
प्रयोगात्मक शुल्क	–	240 (प्रति विषय)	720	240	–
चिकित्सा शुल्क	12	12	12	12	12

नामांकन शुल्क किसी भी कक्षा हेतु–300 रु. देय होगा। स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क अनिवार्य है।

मौखिक परीक्षा शुल्क – 200 रु. देय होगा / सैमिस्टर पी.जी. परीक्षा हेतु शुल्क पृथक से लागू होगा।

स्ववित्त पोषित कक्षाओं हेतु वार्षिक शुल्क (2016–2017)

1.	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)	
	I & II सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर की शुल्क वर्ष में एक बार)	10,700
	III & IV सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर की शुल्क वर्ष में एक बार)	10,400
	V & VI सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर की शुल्क वर्ष में एक बार)	10,400
2.	बी. कॉम. (प्रथम वर्ष)	6800
	बी. कॉम. (द्वितीय एंव तृतीय वर्ष)	6500
3.	एम. एस. सी. (जन्तु विज्ञान) प्रथम वर्ष	12,000
	एम. एस. सी. (जन्तु विज्ञान) द्वितीय वर्ष	12,000
4.	एम. एस.सी. (रसायन विज्ञान) प्रथम वर्ष	12,000
	एम. एस.सी. (रसायन विज्ञान) द्वितीय वर्ष	12,000
5.	एम. ए. (समाजशास्त्र) प्रथम वर्ष	6500
	एम. ए. (समाजशास्त्र) द्वितीय वर्ष	6500

प्रति छात्रा 50 रू0 जैनरेटर शुल्क प्रथक से देय होगा।

छात्रवृत्ति एंव आर्थिक सहायता

सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति शासन के नियमानुसार देय होगी। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त मेधावी छात्राओं को महाविद्यालय अन्य सुविधा भी प्रदान करता है।शासन द्वारा प्रदत्त शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार होगी, किन्तु छात्राओं को प्रवेश लेते समय ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का फार्म नियमानुसार शासन की समय सारिणी के अनुसार त्रुटिरहित online भरकर जमा करना होगा। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण फार्म जमा करने पर फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य है।75% से कम उपस्थिति होने पर नियमानुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा उपलब्ध बजट/मेरिट लिस्ट के अनुसार देय होगी।

बुक बैंक योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से संचालित बुक बैंक योजना से निर्धन एंव योग्य छात्राएं पूरे सत्र के लिए पुस्तकीय सहायता प्राप्त कर सकती है। बुक–बैंक से पुस्तकें लेने वाली छात्राओं को पुस्तकों के मूल्य का एक प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा–योजना (एन.एस.एस.) के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा फरवरी 1974 से उपलब्ध है। युवा विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना और राष्ट्र के प्रति दायित्व–बोध जाग्रत करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अन्तर्गत, महाविद्यालय–प्रांगण में स्वच्छता, ग्रामीण अंचलो में शिविरों का आयोजन, वृक्षारोपण, रोग–उन्मूलन, साक्षरता, स्वास्थ्य–शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, स्त्री एंव बाल कल्याण जागरूकता आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे छात्राओं में समाज–सेवा की भावना का प्रादुर्भाव होता है। वर्तमान में महाविद्यालय में इसकी दो इकाइयाँ कार्यरत है।

खेलकूद एंव रेंजर्स

महाविद्यालय द्वारा योग्य क्रीड़ाधिकारी व प्रशिक्षक की देखरेख में विविध खेल–प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। छात्राओं को अर्न्तमहाविद्यालय एंव विश्वविद्यालय स्तरीय खेल–प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार में नकद धनराशि का भी प्राविधान है। महाविद्यालय में छात्राओं हेतु जिम की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत रेंजर्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। रेंजर्स के लिए अपने 'घोष' की भी व्यवस्था है। 'लक्ष्मीबाई रेंजर्स दल' में छात्राओं का पंजीकरण किया जाता है।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण उत्साह के साथ किया जाता है। निबन्ध लेखन, वाद–विवाद, भाषण, कविता, श्लोक गायन, नृत्य, नाटिका, मेंहदी, रंगोली, कलश–सज्जा, विज्ञान–प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर योग्य एवं मेधावी छात्राओं को प्रतिभा–प्रदर्शन का पूर्ण अवसर और प्रोत्साहन प्रदान कर पुरस्कृत किया जाता है।

शोध–सुविधा

महाविद्यालय में संस्कृत और संगीत विषय में शोधकार्य (पी–एच.डी.) करने की सुविधा उपलब्ध है। शोधार्थियों के पठन–पाठन इत्यादि की पृथक् से व्यवस्था है। तथापि उक्त सुविधा शोध के नवीन नियमों के अन्तर्गत ही प्रदान की जायेगी।

महाविद्यालय के नियम एंव परिनियम

1. प्राचार्या/मुख्य अनुशासन अधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य है।
2. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान में नियमित आना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय परिचय–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मुख्य अनुशासन अधिकारी (प्रौक्टर) के माँगने पर छात्रा को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।
4. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग करना प्रतिबन्धित है।
5. किसी भी छात्रा के रैगिंग में लिप्त पाए जाने अथवा अभद्रव्यवहार करने पर सुसंगत नियमों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। दोषी छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय परिसर में अकारण चहल–कदमी प्रतिबन्धित हैं। छात्राएं कक्षाओं में अध्ययन करें। अतिरिक्त समय वाचनालय में अनुशासित रहकर पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का अध्ययन करें अथवा निर्धारित स्थान पर बैठें।
7. माता–पिता अथवा अभिभावक, जिनकी फोटो पहचान पत्र पर चस्पा हैं, केवल उन्ही को महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में बात करने अथवा उससे मिलने की अनुमति होगी।
8. महाविद्यालय की संपत्ति एंव पर्यावरण को क्षति पहुँचाना दण्डनीय है।
9. सूचना पट पर समय–समय पर प्रदर्शित सूचनाओं का संज्ञान लेना छात्राओं का कर्तव्य हैं अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।
10. छात्राओं के लिए कक्षाओं में 75 प्रतिशत की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। किसी कारणवश कक्षा में अनुपस्थित रहने की स्थिति में छात्राएँ पूर्व में अवकाश प्रार्थना – पत्र विषय सम्बन्धी शिक्षिकाओं के माध्यम से प्राचार्या से स्वीकृत करवाएँ। 15 दिवस निरन्तर अनुपस्थिति पर नाम काटा जा सकता है।

उपर्युक्त नियमों/परिनियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्धन संशोधन अनुमन्य होगा।

शिक्षक – मण्डल

प्राचार्या	:	डॉ. निर्मला यादव, एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत), पी.–एच.डी.

कला संकाय

हिन्दी विभाग	:	1. रिक्त स्थान
	:	2. रिक्त स्थान
संस्कृत विभाग	:	1. डॉ. तुलसी देवी 'एम.ए., पी.–एच.डी.'
	:	2. डॉ. राज्यश्री मिश्रा 'एम.ए., नैट, पी.–एच.डी.
	:	3. रिक्त स्थान
अंग्रेजी विभाग	:	1. डॉ. रत्ना सक्सैना 'एम. ए., पी.–एच.डी.
	:	2. रिक्त स्थान
उर्दू विभाग	:	1. डॉ. फरहा तबस्सुम 'एम.ए., पी.–एच.डी.
संगीत विभाग	:	1. डॉ. अंजू शर्मा 'एम.ए., पी.–एच.डी.
	:	2. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय 'एम.ए., नैट, पी.–एच.डी.
	:	3. रिक्त स्थान
चित्रकला विभाग	:	1. डॉ. पूनम 'एम.ए., पी.–एच.डी.
	:	2. रिक्त स्थान
गृहविज्ञान विभाग	:	1. डॉ. मीना गुप्ता 'एम.ए., पी.–एच.डी.
	:	2. रिक्त स्थान
	:	3. रिक्त स्थान
मनोविज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान
	:	2. रिक्त स्थान
समाजशास्त्र विभाग	:	1. रिक्त स्थान
राजनीतिशास्त्र विभाग	:	1. रिक्त स्थान
अर्थशास्त्र विभाग	:	1. रिक्त स्थान
शारीरिक शिक्षा विभाग	:	1. रिक्त स्थान

विज्ञान संकाय

जन्तु विज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान
वनस्पति विज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान
रसायन विज्ञान – विभाग	:	1. कु. रीता दीक्षित 'एम.एस.सी., एम.फिल,

स्ववित्तपोषित संकाय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अर्हताधारी सुयोग्य शिक्षकों की व्यवस्था है। पर्याप्त संख्या में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कार्यरत है।

विभिन्न समितियाँ

परामर्श दात्री – समिति (Advisory Committee)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्ष
2. डॉ. मीना गुप्ता – सदस्या
3. डॉ. तुलसी देवी – सदस्या
4. कु. रीता दीक्षित – सदस्या
5. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय – सदस्या
6. डॉ. पूनम – सदस्या
7. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
8. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या (सचिव)

अनुशासन – समिति (Discipline Committee)

1. डॉ. तुलसी देवी – मुख्य अनुशासन अधिकारी
2. डॉ. मीना गुप्ता – सह अनुशासन अधिकारी
3. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
4. कु. रीता दीक्षित – सदस्या
5. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय – सदस्या
6. डॉ. पूनम – सदस्या
7. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
8. डॉ. राज्यश्री मिश्रा – सदस्या
9. छात्रा प्रतिनिधि – नामित

प्रवेश – समिति (Admission Committee)

स्नातक कक्षाएँ (कला संकाय)

1. डॉ. मीना गुप्ता संयोजिका
2. डॉ. अंजू शर्मा सदस्या
3. डॉ. रत्ना सक्सैना सदस्या
4. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय सदस्या
5. डॉ. पूनम सदस्या
6. डॉ. फरहा तबस्सुम सदस्या

परास्नातक कक्षाएँ (कला संकाय)

1.	डॉ. तुलसी देवी	प्रभारी
2.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	सदस्या
3.	डॉ. अंजू शर्मा	सदस्या
4.	डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	सदस्या
5.	डॉ. सीमा शर्मा	सदस्या
6.	डॉ. अलका चतुर्वेदी	सदस्या

विज्ञान – संकाय
स्नातक / परास्नातक कक्षाएँ
(बी.एस.–सी. / एम.एस.सी)

1.	कु. रीता दीक्षित	संयोजिका
2.	डॉ. ममता कुमारी	सह संयोजिका
3.	श्री संजीव गुप्ता	सदस्य
4.	कु प्रीति वर्मा	सदस्या

वाणिज्य – संकाय
स्नातक कक्षाएँ
(बी.कॉम)

1.	डॉ. छाया यादव	संयोजिका
2.	डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ला	सह संयोजक
3.	डॉ. बालकृष्ण शर्मा	सदस्य
4.	डॉ. सतीश कुमार	सदस्य

छात्रवृत्ति–समिति (Scholarship Committee)

सामान्य वर्ग	1. प्राचार्या	अध्यक्षा
	2. डॉ. मीना गुप्ता	सदस्या
	3. डॉ. प्रियदर्शनी उपाध्याय	सदस्या
	4. डॉ. रत्ना सक्सैना	संयोजिका
पिछड़ा वर्ग	1. प्राचार्या	अध्यक्षा
	2. डॉ. मीना गुप्ता	सदस्या
	3. डॉ. पूनम	सदस्या
	4. डॉ. फरहा तबस्सुम	संयोजिका
अल्पसंख्यक वर्ग	1. प्राचार्या	अध्यक्षा
	2. डॉ. मीना गुप्ता	सदस्या
	3. डॉ. फरहा तबस्सुम	सदस्या
	4. डॉ. रत्ना सक्सैना	संयोजिका
अनुसूचित जाति / जनजाति	1. प्राचार्या	अध्यक्षा
	2. डॉ. मीना गुप्ता	सदस्या
	3. डॉ. प्रियदर्शनी उपाध्याय	सदस्या
	4. डॉ. पूनम	संयोजिका

राष्ट्रीय सेवा–योजना समिति (N.S.S. Committee)

1. डॉ. प्रियदर्शनी उपाध्याय – योजनाधिकारी (प्रथम इकाई)
2. डॉ. रत्ना सक्सैना – योजनाधिकारी (द्वितीय इकाई)

क्रीड़ा – समिति (Games Committee)

1. डॉ. मीना गुप्ता – प्रभारी
2. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय – सदस्या
3. रीता दीक्षित – सदस्या
4. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

रेन्जर्स समिति (Rangers Committee)

1. डॉ. फरहा तबस्सुम – प्रभारी
2. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
3. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

चिकित्सा – प्रकोष्ठ (Medical Cell)

1. डॉ. मीना गुप्ता – प्रभारी
2. कु. रीता दीक्षित – सदस्या
3. डॉ. छाया यादव – सदस्या
4. कु. प्रीति वर्मा – सदस्या
5. डॉ. ममता कुमारी – सदस्या

कैरियर एण्ड काउन्सलिंग सैल (Career and Counseling Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्षा
2. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
3. डॉ. पूनम – संयोजिका

समान सुअवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्षा
2. डॉ. तुलसी देवी – सदस्या
3. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
4. डॉ. मीना गुप्ता – संयोजिका

छात्र कल्याण समिति (Students Welfare Committee)

1. डॉ. तुलसी देवी – प्रभारी
2. डॉ. पूनम – सदस्या
3. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
4. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)

1. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय – प्रभारी
2. डॉ. मीना गुप्ता – सदस्या
3. डॉ. तुलसी देवी – सदस्या
4. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
5. डॉ. पूनम – सदस्या
6. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
7. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

पत्रिका – समिति (Magazine Committee)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – संरक्षिका
2. डॉ. तुलसी देवी – मुख्य सम्पादिका
3. डॉ. रत्ना सक्सैना – सह सम्पादिका
4. कु. रीता दीक्षित – सदस्या
5. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
6. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) – सदस्याएँ

पुस्तकालय – समिति (Library Committee)

1. डॉ. मीना गुप्ता – प्रभारी
2. डॉ. तुलसी देवी – सदस्या
3. डॉ. रत्ना सक्सैना – सदस्या
4. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
5. कु. रीता दीक्षित – सदस्या
6. डॉ. नगेन्द्र शर्मा – सदस्य

शिकायत निवारण – प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) – अध्यक्षा
2. डॉ. फरहा तबस्सुम – सदस्या
3. डॉ. राज्यश्री मिश्रा – सदस्या
4. डॉ. छाया यादव – सदस्या
5. डॉ. सीमा शर्मा – सदस्या
6. डॉ. रत्ना सक्सैना – संयोजिका

एण्टी रैगिंग प्रकोष्ठ (Anti Raging Cell)

1. डॉ. फरहा तबस्सुम – प्रभारी
2. कु. रीता दीक्षित – सदस्या
3. डॉ. छाया यादव – सदस्या
4. डॉ. ममता कुमारी – सदस्या

सैक्सुअल हरेसमेण्ट निवारण प्रकोष्ठ
(Sexual Harassment Prevention Cell)

1.	डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	डॉ. तुलसी देवी	–	सदस्या
3.	कु. रीता दीक्षित	–	सदस्या
4.	श्री राजेश्वर प्रसाद बंसल	–	सदस्य
5.	श्री बद्री विशाल माथुर	–	सदस्य
6.	डॉ. मीना गुप्ता	–	सचिव सदस्या

शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग

1.	डॉ. नगेन्द्रकुमार शर्मा	कार्यवाहक कार्यालय अध्यक्ष / पुस्त. लिपिक, कार्य.पुस्तकालय अध्यक्ष	(एम.ए.,पी.–एच.डी.,सी.लिब)
2.	श्री संजीव जैन	नैत्यिक लिपिक	(एम. कॉम.)
3.	श्रीमती ममता गुप्ता	तबला संगतकार	(एम.ए.'तबला')
4.	कु. फूलमाला राजन	प्रयोगशाला सहायक	(मनोविज्ञान)
5.	श्री अनिल कुमार	प्रयोगशाला सहायक	(जन्तु विज्ञान)
6.	श्रीमती अरुणा भट्ट	प्रयोगशाला सहायक	(वनस्पति विज्ञान)
7.	श्री गजेन्द्र सिंह	प्रयोगशाला सहायक	(रसायन विज्ञान)
8.	श्रीमती शैलजा पाठक	प्रयोगशाला सहायक	(गृहविज्ञान)
9.	श्री जगदीश	दफ्तरी	
10.	श्री रामजीलाल	प्रयोगशाला परिचर	
11.	श्री महेशचनद्र	प्रयोगशाला परिचर	
12.	श्री राजेन्द्र बहादुर	माली	
13.	श्रीमती लौंगश्री	प्रयोगशाला परिचर	
14.	श्रीमती दिनेशकुमारी	प्रयोगशाला परिचर	
15.	श्री अमर सिंह	चौकीदार	
16.	श्री जितेन्द्र सिंह	चपरासी	
17.	श्री राधेश्याम गुप्ता	खादिमा–गृह विज्ञान	
18.	श्री रामवीर	वनस्पति विज्ञान माली	
19.	श्रीमती मालती देवी	प्रयोगशाला परिचर	
20.	श्री सुधीर कुमार राजौरिया	चपरासी (कला)	
21.	श्री ईशाचरन	जमादार	
22.	श्री योगेश कुमार	चपरासी	

23.	रिक्तपद	बुक लिफ्टर
24.	रिक्तपद	लिपिक कार्यालय
25.	रिक्तपद	पुस्तकालयाध्यक्ष
26.	रिक्तपद	कार्यालय अधीक्षक
27.	रिक्तपद	चौकीदार
28.	रिक्तपद	माली

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
प्रवेश नियमावली सत्र 2016–2017

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल.एल.बी. प्रथम वर्ष एंव एल.एल.एम. प्रथम वर्ष) संकायो की कक्षा में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्ही पाठ्यक्रम/विषयों में दिया जायेगा जिनकी समबद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदया अथवा उत्तर – प्रदेश शासन, लखनऊ से प्राप्त हैं और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विधमान है। तथा मा. कुलपति महोदया से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

सामान्य निर्देश

1. (अ). प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका 'प्रोस्पेक्ट्स' तैयार कराएगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन–पत्र एंव अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।

(ब). विवरण पुस्तिका में सत्र 2016–2017 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) यथा श्रवण बाधित, चलन बाधित एंव दृष्टि बाधित के अन्तर्गत ही) आरक्षित होंगे।

विकलांगो के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स). सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का मूल्य 200/– नकद तथा पंजीकृत डाक द्वारा रू0. 225 लिया जायेगा आगामी दो वर्षो तक।

(द). प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा। जिस पर इच्छुक छात्रों को विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय को वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

2. (अ). सत्र. 2016–2017 के लिए कला, विज्ञान एंव वाणिज्य संकायो की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के ''त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष 'चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष ''चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम' में ही प्रवेश दिये जायेगे।

(ब). महाविद्यालयों में एल–एल.बी. ''प्रथम वर्ष'' तथा एल–एल. एम. ''प्रथम वर्ष'' में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेगे। एल–एल. बी. ''प्रथम वर्ष'' के प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है। पंचवर्षीय एल–एल. बी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता 10+2 होगी. जिसमें 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी। निर्धाहित मानकों के आधार पर सभी श्रेणियों के लिए पृथक–पृथक योग्यता सूचियाँ बनाई जायेंगी। प्रतीक्षा सूची योग्यतानुसार पृथक से तैयार की जायेगी। जिनमें से योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिये जायेंगे, किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/15–94 –1 5/66/89 दिनांक 30–07–1994 में उल्लिखित प्राविधानों का पालन भी अब सुनिश्चित करना होगा।

(स). सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि जुलाई 2016 होगी किसी भी परिस्थित में प्रवेश 31 अगस्त 2016 के पश्चात नही होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेंगे, यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हों।

- ❖ स्नातक प्रथम वर्ष सभी संकायों में पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि — 02 जुलाई 2016
- ❖ सभी संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि — 16 जुलाई 2016
- ❖ स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन पाठन प्रारम्भ करने की तिथि — 05 अगस्त 2016
- ❖ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि — 16 अगस्त 2016
- ❖ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि — 31 अगस्त 2016
- ❖ स्नातकोत्तर द्वितीय एंव स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि — 31 अगस्त 2016
- ❖ स्नातकोत्तर द्वितीय एंव तृतीय वर्ष की कक्षाओं में पठन पाठन प्रारम्भ करने की तिथि — 1 सितम्बर 2016

3. (अ). प्रवेश सूची मय योग्यता अंक सहित कॉलेज नोटिस पट 'नोटिस बोर्ड' पर लगा दी जायेगी। छात्रा तद्नुसार प्रवेश लें।

(ब). महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।

4. (अ). स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नही ले सकेंगे।

(ब). किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

स). यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसके आर्हता परीक्षा में अन्तराल हैं तो ऐसी दशा में प्रचार्या को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा। प्राचार्य का निर्णय अंन्तिम होगा।

टिप्पणीः–

दो वर्ष के अन्तराल (GAP) के छात्रों का ऑनलाइन डाटा विश्व विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुये प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाइन फार्म भरवाते वक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।

(द). ऐसे सभी छात्र जिन्होने एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल.एल.एम. कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नही होंगे।

(य). कला, वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हो, परन्तु जिन्होने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुए हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नही पा सकेंगे। ऐसे छात्र प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

"यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नही होगा, जिन्होने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विशय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा ना हो।"

प्राचार्या को प्रवेश के मामले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उदधृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे।

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principales, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled foe admission according to norms and Principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith".

स्पष्टीकरण – उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5. (अ). स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी।

1. बी.एस–सी. फिजीकल सांइस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बी.एस–सी. लाइफ सांइस के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
3. बी.एस.–सी. (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट सांइस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।
4. बी.ए. / बी.कॉम. के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principales, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled foe admission according to norms and Principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith".

स्पष्टीकरण – उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5. (अ). स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी।

1. बी.एस–सी. फिजीकल सांइस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बी.एस–सी. लाइफ सांइस के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
3. बी.एस.–सी. (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट सांइस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।
4. बी.ए. / बी.कॉम. के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

5. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्डरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।
(List of career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at senior Secondary Level Along with recived Scheme of Studies)

(ब). कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी. एस.–सी. (कृषि)/बी. एस–सी. परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी। उ. प्र. बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनो प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे–

1. विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित स्थाई रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एंव उन्ही जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा। जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश, आगरा/अलीगढ़ मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल तथा डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के इँण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा। जिन छात्रों ने स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. के आगरा मण्डल तथा डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। किन्तु एम.एस.–सी. कृषि के प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल उत्तीर्ण होना आवश्यक नही है।

2. शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिसमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

3. शासनादेश संख्या जी.आई. 35/सत्तर–1–2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र–छात्राओं को दो स्थानों में दिया जायेगा।

4. भाग 2 तथा 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग–1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

5. विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

   समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे।

   (क). अधिष्ठाता – छात्र कल्याण

   (ख). प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य – चक्रक्रमानुसार

   (ग). एस. एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित – मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक

नोट– कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोशित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश 'प्रोवीजनल' भी नही देगा।

6. समय–समय पर दिये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. समिति का यह भी निर्णय हैं कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना

6. (अ). स्नातक कक्षायें –

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंको/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंको/ग्रेड दोनों।

(ब). स्नातकोत्तर कक्षायें –

1. इण्टरमीडियेट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको का 100 प्रतिशत।

नोट–1 (क). विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए लिये जायेंगे।

2 (क). हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयोग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम.ए. के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विश्वविद्यालय की बी.ए. की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण कर ली है।

(ख). सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.ए. पूर्वाद्ध परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते है।

(ग). एम.कॉम पूर्वाद्ध परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी.कॉम. त्रिवर्षीय परीक्षा है।

(घ). दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्ही विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हो।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंको, जहाँ अनुमन्य हो, जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंको का कुल योग 17 अंको से अधिक नहीं होगा।

(क). स्नातक कक्षायें –

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए।

क.	प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
ख.	द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
ग.	तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
घ.	प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

2. एन.सी.सी. 'सी' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. 'बी' सर्टीफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है तथा दो कैम्पो में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। — 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) — 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को — 5 अंक

5. बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेषार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 102 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वाकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।

(ख). स्नातकोत्तर कक्षायें –

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु।

क. प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए	8 अंक
ख. प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए	7 अंक
ग. प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए	6 अंक
घ. प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए	3 अंक

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में
अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु।

क. प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
ख. प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
ग. प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
घ. प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

3. एन.सी.सी., 'सी' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. 'बी' सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण–पत्र धारक केडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पो में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। — 3 अंक

4. एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। — 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो — 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने
अन्तर विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।

क. प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
ख. द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
ग. तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
घ. प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

नोट – उपर्युक्त 1 से 5 के संदर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रेंजर्स के लिये समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग). सभी कक्षायें –

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एंव स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री (अविवाहित) 10 अंक
3. कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। 17 अंक

टिप्पणी –

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एंव अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंको के प्रमाण–पत्र स्वीकार नही किए जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

नोट–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

7 (अ). कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब). कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(स). सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 70 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एंव स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विशय में 60 छात्र एंव गैर प्रयोगात्मक विशय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा।

(द). विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्नपत्र को लेने की अनुमति नही दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।

8. (अ). प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब). प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्रा के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेंगे।

(स). प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द). अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचना पट पर दी गई सूचनाओं / सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखे, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भलीभाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा ही होगा।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझे जायें।

प्रवन्ध समिति महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी) कालेज
एस.एन. मार्ग, फिरोजाबाद

1.	श्री राजनाथ गुप्ता	अध्यक्ष
2.	रिक्त	उपाध्यक्ष
3.	श्री अनिल उपाध्याय	सचिव
4.	श्री विनोद बिहारी गुप्ता	उप सचिव
5.	डॉ.श्री एस.पी.एस चौहान	कोषाध्यक्ष
6.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह बंसल	लेखा निरीक्षक
7.	श्री अशोक चतुर्वेदी	सदस्य
8.	श्री अनूप चन्द जैन	सदस्य
9.	श्री राजेश्वर प्रसाद बंसल	सदस्य
10.	श्री राजकुमार मित्तल	सदस्य
11.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल	सदस्य
12.	श्री धर्मेन्द्र मोहन गुप्ता	सदस्य
13.	श्री मोहम्मद इस्लाम	सदस्य
14.	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	सदस्य
15.	श्री सुरेश चन्द दुबे	सदस्य
16.	श्रीमती शशि शर्मा	सदस्य
17.	डा. श्री गणेश चन्द्र शर्मा	सदस्य
18.	डॉ.निर्मला यादव	(प्राचार्य) पदेन सदस्य
19.	डॉ. मीना गुप्ता	(शिक्षक प्रतिनिधि) सदस्य
20.	डॉ. तुलसी देवी	(शिक्षक प्रतिनिधि) सदस्य
21.	डॉ. अन्जू शर्मा	(शिक्षक प्रतिनिधि) सदस्य
22.	डॉ. रत्ना सक्सैना	(शिक्षक प्रतिनिधि) सदस्य
23.	डॉ. नगेन्द्र शर्मा	(तृतीय श्रेणी प्रतिनिधि) सदस्य

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी) कॉलेज, फिरोजाबाद

विद्ययाऽमृतमश्नुते

Mahesh Press :- 99273 49666

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय पी.जी. कालेज

2102

फिरोजाबाद

प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र-सत्र 2016-2017

नामांकन संख्या ______ स्नातक प्रथम वर्ष का प्रवेश क्रमांक ______

कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए ______ **पंजीकरण संख्या** ______

वर्ग जिसमें आवेदन किया है स्पष्ट रूप से कालम में अंकित करें-

(1) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक ______

(2) विकलांक/भूतपूर्व सैनिक के आश्रित ______

अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगायें

नाम छात्रा(हिन्दी में) ....

छात्रा नाम से पूर्व (कुमारी अथवा श्रीमती न लिखें)

नाम छात्रा(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

पिता का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

पद/व्यवसाय और पता ....

जाति- ______ विवाहित / अविवाहित ______

विवाहित होने पर पति का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

कार्यालय के उपयोग हेतु

शुल्क रु. ....

शुल्क रसीद

सं ______

दिनांक ....

शुल्क संग्राहक के हस्ताक्षर

माता का नाम ....

स्थानीय संरक्षक का नाम व छात्रा से सम्बन्ध ....

पद/व्यवसाय और पता ....

स्थाई पता (आवेदक) .... पत्राचार का पता ....

डाकखाना .... जिला .... राज्य .... फोन नं. ....

उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि .... राष्ट्रीयता ....

जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार) ....

अन्तिम विद्यालय जहाँ शिक्षा प्राप्त की हो .... कक्षा जो उत्तीर्ण की है ....

संस्थागत/व्यक्तिगत .... वर्ष .... श्रेणी ....

प्रवेश हेतु चयनित विषय (1) .... (2) .... (3) ....

(4) .... (5) .... (6) ....

परीक्षा विवरण		वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	संस्था का नाम	बोर्ड/वि. वि.	विषय
हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी								
इण्टरमीडिएट/सीनियर सेकेण्डरी								
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.	I							
	II							
	III							
एम.ए.								

शपथ-पत्र

मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गई सूचनाएँ सत्य हैं। सूचनाएँ सही न पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

मैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के नियमों, परिनियमों एवं अध्यादेशों का पालन करते हुए प्राचार्या की पूर्ण सन्तुष्टि के अनुरूप अनुशासन में रहने के लिए वचनबद्ध हूँ।

यदि मैं महाविद्यालय का अनुशासन भंग करूँ, उद्दण्डता करूँ अथवा अवांछित कृत्यों (रैगिंग आदि) में लिप्त पाई जाऊँ लगातार 15 दिन अनुपस्थित रहूँ, तो प्राचार्या को अधिकार होगा कि महाविद्यालय से मेरा निष्कासन कर दें अथवा कोई भी दण्ड प्रदान करें।

पता .... छात्रा के हस्ताक्षर

....

....

अभिभावक/संरक्षक का घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा विश्वास दिलाता हूँ और पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करता हूँ कि मेरी पुत्री/आश्रिता कक्षा में प्रवेश पाने पर नियमित उपस्थित रहते हुए महाविद्यालय में अपने सम्पूर्ण अध्ययनकाल में सच्चरित्र एवं सद्व्यवहार बनाए रखेगी। ऐसा न करने की स्थिति में वह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नियमानुकूल निष्कासन अथवा दण्ड की भागी बनेगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस पत्र के नीचे हस्ताक्षर मेरे द्वारा किए गए हैं।

पता.. ....

दिनांक .... अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर

दूरभाष.. पूरा नाम ....

छात्रा से सम्बन्ध ....

महाविद्यालय के नियम

1. प्रवेश समिति द्वारा स्वीकृत विषय किसी भी दशा में बदले नहीं जायेंगे। इसलिए विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें।
2. आवेदन-पत्र के साथ वांछित-पत्र संलग्न न करने पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जायगा।
3. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय मूल शैक्षिक अभिलेख, टी.सी. और चरित्र प्रमाण-पत्र न लाने पर प्रवेश नहीं दिया जायगा।
4. 5 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
5. नियमित 75 प्रतिशत उपस्थिति न रहने पर छात्रवृत्ति भी निरस्त कर दी जायेगी।
6. अनुशासनहीनता की कार्यवाही में लिप्त पाए जाने पर प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।
7. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय छात्रा के पास परिचय-पत्र होना अत्यावश्यक है।
8. किसी भी छात्रा के रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. साईकिल का पंजीकरण न कराने पर चोरी चले जाने पर महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
10. आवेदन पत्र पंजीकरण रसीद प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक छात्रों को अपने साथ लाना अनिवार्य है।
11. महाविद्यालय परिसर में वाहन लाना प्रतिबन्धित है /

प्राचार्या के हस्ताक्षर प्रवेश समिति के हस्ताक्षर छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नक (इसीक्रम में लगाए)

1. हाईस्कूल अंकतालिका (सत्यापित प्रतिलिपि)
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका (सत्यापित प्रतिलिपि)
3. स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय अंकतालिका (सत्यापित प्रतिलिपि)
4. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध अंकतालिका (सत्यापित प्रतिलिपि)
5. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रतिलिपि)
6. जाति प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रतिलिपि)
7. चरित्र प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रतिलिपि)
8. आय प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रतिलिपि)
9. आवेदन पत्र पंजीकरण रसीद एवं अभिभावक पहचान-पत्र (मूल रूप में)

कुल संलग्नक संख्या [ ]

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय पी.जी. कालेज, फिरोजाबाद

2102

छात्राओं द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

सत्र 2016-2017

1. मैं .... पुत्री ....
   कक्षा .... में प्रवेश लेना चाहती हूँ।
2. मैंने आवेदन पत्र में जो भी प्रविष्टियाँ भरी हैं वे पूर्ण रूप से सत्य हैं। कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि कुछ भी असत्य पाया जाये तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
3. मैं नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 75% उपस्थिति पूरी करुँगी। 75% उपस्थिति पूरी न करने पर परीक्षा में न बैठने के साथ ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से भी वंचित कर दिया जाये।
4. मैं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुशासन के नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करुँगीं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करुँगीं जिससे महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
5. मैं महाविद्यालय परिसर में अथवा कक्षाओं में मोबाइल का प्रयोग नहीं करुँगीं। उपर्युक्त स्थानों पर मोबाइल का प्रयोग करते पाये जाने पर मेरा मोबाइल जब्त कर लिया जाये।
6. मुझे महाविद्यालय के उक्त नियमों का पालन करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं।

प्रति हस्ताक्षर अभिभावक -   हस्ताक्षर छात्रा

पिता का नाम -   छात्रा का नाम

सत्र 2016-2017 **अभिभावक का पहचान पत्र** फार्म संख्या 2102

छात्रा का फोटो	माता का फोटो	पिता या अभिभावक का फोटो
छात्रा के हस्ताक्षर	माता के हस्ताक्षर	पिता/अभि. के हस्ताक्षर
....	....	....

छात्रा का नाम .... कक्षा .... प्रवेश क्रमांक ....

दूरभाष हस्ताक्षर प्राचार्या

सत्र 2016-2017 **अभिभावक का पहचान पत्र** फार्म संख्या 2102

छात्रा का फोटो	माता का फोटो	पिता या अभिभावक का फोटो
छात्रा के हस्ताक्षर	माता के हस्ताक्षर	पिता/अभि. के हस्ताक्षर
....	....	....

छात्रा का नाम .... कक्षा .... प्रवेश क्रमांक ....

दूरभाष हस्ताक्षर प्राचार्या

शैक्षिक सत्र - 2016-2017

फार्म संख्या 2102

आवेदन पत्र - पंजीकरण रसीद

पंजीकरण क्रमांक

कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए

छात्रा का फोटो

प्रवेश क्रमांक

नाम छात्रा .... पिता का नाम ....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

महाविद्यालय के नियम

1. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान सफेद सलवार कुर्ता और दुपट्टा कक्षावार पहनकर आना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय-परिसर में प्रवेश के समय छात्रा के पास परिचय-पत्र होना अत्यावश्यक है।
3. महाविद्यालय-परिसर में मोबाइल फोन प्रयोग करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा।
4. रैगिंग अथवा अभद्र-व्यवहार की दोषी छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
5. माता-पिता अथवा अभिभावक, जिनकी फोटो पहचान पत्र पर चस्पा है, केवल उन्हीं को महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में वार्ता करने की अनुमति होगी।
6. महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में वार्ता हेतु अभिभावक को पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।

अभिभावक का घोषणा-पत्र

मैं और मेरी पुत्री/आश्रिता महाविद्यालय के उपर्युक्त नियमों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं।

....

छात्रा के हस्ताक्षर

नाम ....

....

अभिभावक के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

महाविद्यालय के नियम

1. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान सफेद सलवार कुर्ता और दुपट्टा कक्षावार पहनकर आना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय-परिसर में प्रवेश के समय छात्रा के पास परिचय-पत्र होना अत्यावश्यक है।
3. महाविद्यालय-परिसर में मोबाइल फोन प्रयोग करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा।
4. रैगिंग अथवा अभद्र-व्यवहार की दोषी छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
5. माता-पिता अथवा अभिभावक, जिनकी फोटो पहचान पत्र पर चस्पा है, केवल उन्हीं को महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में वार्ता करने की अनुमति होगी।
6. महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में वार्ता हेतु अभिभावक को पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।

अभिभावक का घोषणा-पत्र

मैं और मेरी पुत्री/आश्रिता महाविद्यालय के उपर्युक्त नियमों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं।

....

छात्रा के हस्ताक्षर

नाम ....

....

अभिभावक के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

(केवल प्रवेश समिति के प्रयोग हेतु)

छात्रायें स्वयं न भरें।

प्रवेश समिति द्वारा स्वीकृत विषय

1 ....

2 ....

3 ....

4 ....

5 ....

6 ....

ह. प्राचार्या

हस्ताक्षर (प्रवेश समिति)